समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या- 08/2022

सुबोध कुमार अग्रवाल, गौर पाठक भोगनीपुर, कानपुर देहात

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रोथ सेन्टर)

पुखरांया, गजनेर रोड़, नबीपुर, (द.वि.वि.नि.लि), कानपुर देहात ।

------- विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

परिवादी सुबोध कुमार अग्रवाल, गौर पाठक भोगनीपुर, कानपुर देहात के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जी. सी. खन्ना द्वारा परिवाद इस आशय से दाखिल किया गया है कि विपक्षी से upgrading कार्य हेतु वसूली राशि रु. 2,61.390/- की वापसी ब्याज सहित करने का आदेश प्रदान किया जावे ।

परिवादी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा परिवाद (का.सं. 1/1 ता 1/2 एवं संलग्नक का.सं. 1/3 ता 1/10) दाखिल कर धारा 1 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के परिसर पर 20 KW का वाणिज्य संयोजन संख्या 9598799111 स्थापित है जो T/F द्वारा निर्गत किया गया था (संलग्न का संख्या 1) । धारा 2 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी ने अपने संयोजन का भार 20 KW से बढ़ा कर 49 KW करने का आवेदन दिनांक 25.05.2022 को निवेश मित्र पोर्टल द्वारा Online किया था (संलग्न का संख्या 2 व 3) । धारा 3 में यह अभिलिखित किया गया है कि विपक्षी ने संयोजन पर स्थापित Transformer की क्षमता वृद्धि (Upgrading of transformer Capacity) हेतु प्राकलन जारी किया जबकि विद्युत प्रणाली को upgrade करना विभागीय दायित्व है । विद्युत संहिता 2005 की धारा 4.2(a) में स्पष्ट है कि धारा 4.2(a) The License shall have obligation for ensuring that its distribution system is

आगे जारी है ।

upgraded, extended and strengthened to meet the demand for electricity in its area of supply, Wherever the existing transformation capacity is loaded upto 80% of its capacity, the licensee shall prepare a scheme report for augmentation of such transformation capacity. परन्तु खण्ड ने Transformer Upgrading कार्य हेतु देय मूल्य का प्राकलन परिवादी से वसूली करने हेतु रू. 2,61,390/- का जारी कर निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से मांग की (संलग्न का संख्या 4 व 5) । धारा 4 में यह अभिलिखित किया गया है कि विपक्षी ने Upgrading कार्य का प्रकलन Code 2005 की धारा 4.2(a) का उल्लंघन कर जारी किया । धारा 5 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी ने प्राकलन की आपत्ति का पत्र खण्ड अधिकारी को दिनांक 18.06.2022 को प्रेषित किया (संलग्न का संख्या 6) जिस पर कार्यवाही न करने पर पुनः पत्र अधिक्षण अभियन्ता मण्डल बारा जोड़ को पत्र दिनांक 28.06.2022 को प्रेषित किया । (संलग्न का संख्या 7) जिस पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की । धारा 6 में यह अभिलिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा अवैधानिक ढंग से वसूले गये Upgrading कार्य हेतु वसूले रू. 2,61,390/- की वापसी कराया जाना न्यायसंगत होगा । परिवादी ने दिनांक 30.06.2022 को आंपत्ति के साथ T.C. राशि जमा कराई ।

विपक्षी ने जवाबदावा (का.सं. 7) दाखिल किया है । धारा 1 अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के परिवाद पत्र के पैरा संख्या 1 में कहा गया कथन स्वीकार है । धारा 2 अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के परिवाद पत्र के पैरा संख्या 2 में कहे गये कथन के सम्बन्ध में कहना है कि परिवादी द्वारा संयोजन का भार 20 KW से बढ़ाकर 49 KW (54.44 के.वी.ए.) करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है । कथन स्वीकार है । धारा 3 अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के परिवाद पत्र के पैरा नं. 3 में कहे गए संम्बन्ध में कहना है कि विद्युत संयोजन पर स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हेतु प्राकलन जारी न करके 20 K.W. भार से 49 K.W. भार के विद्युत संयोजन हेतु प्राकलन जारी किया है । धारा 4 अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के परिवाद पत्र के पैरा नं. 4 में कहा गया कथन स्वीकार है । धारा 5 अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के परिवाद पत्र के पैरा नं. 5 में कहा गया कथन आंशिक अस्वीकार है । धारा 6 अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के परिवाद पत्र के पैरा नं. 6 में कहे गये कथन में यह स्वीकार है कि परिवादी द्वारा दिनांक 30.06.2022 को आपत्ति के साथ टी.सी राशि जमा करायी । धारा 7 अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के परिवाद पत्र के पैरा नं. 7 में कहा गया कथन स्वीकार है ।

आगे जारी है ।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जी. सी. खन्ना को तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रोथ सेन्टर), पुखरांया, गजनेर रोड़, नबीपुर, (द.वि.वि.नि.लि), कानपुर देहात के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम त्रिपाठी के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

इस परिवाद को प्रभावी रूप से निस्तारित करने हेतु निम्नलिखित बिन्दु पर विचार करना है :-

(1) परिवादी के परिसर पर 20 KW का वाणिज्य संयोजन संख्या 9598799111 स्थापित है जो T/F द्वारा निर्गत किया गया था। परिवादी ने अपने संयोजन का भार 20 KW से बढ़ा कर 49 KW करने का आवेदन दिनांक 25.05.2022 को निवेश मित्र पोर्टल द्वारा Online किया था। विपक्षी ने संयोजन पर स्थापित Transformer की क्षमता वृद्धि (Upgrading of transformer Capacity) हेतु प्राकलन जारी किया जबकि विद्युत प्रणाली को upgrade करना विभागीय दायित्व है। परन्तु खण्ड ने Transformer Upgrading कार्य हेतु देय मूल्य का प्राकलन परिवादी से वसूली करने हेतु रू. 2,61,390/- का जारी कर निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से मांग की। परिवादी ने प्राकलन की आपत्ति का पत्र खण्ड अधिकारी को दिनांक 18.06.2022 को प्रेषित किया जिस पर कार्यवाही न करने पर पुनः पत्र अधिक्षण अभियन्ता मण्डल बारा जोड़ को पत्र दिनांक 28.06.2022 को प्रेषित किया। जिस पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की। विपक्षी द्वारा अवैधानिक ढंग से वसूले गये Upgrading कार्य हेतु वसूले रू. 2,61,390/- की वापसी कराया जाना न्यायसंगत होगा। परिवादी ने दिनांक 30.06.2022 को आपत्ति के साथ T.C. राशि जमा कराई।

(2) परिवादी द्वारा संयोजन का भार 20 KW से बढ़ाकर 49 KW (54.44 के.वी.ए.) करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है। कथन स्वीकार है। परिवादी के परिवाद पत्र के पैरा नं. 3 में कहे गए संम्बन्ध में कहना है कि विद्युत संयोजन पर स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हेतु प्राकलन जारी न करके 20 K.W. भार से 49 K.W. भार के विद्युत संयोजन हेतु प्राकलन जारी किया है। परिवादी द्वारा दिनांक 30.06.2022 को आपत्ति के साथ टी.सी राशि जमा करायी।

आगे जारी है।

आदेश

परिवादी सुबोध कुमार अग्रवाल, गौर पाठक भोगनीपुर, कानपुर देहात का परिवाद स्वीकार किया जाता है और विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि अधिक जमा करायी गयी धनराशि को नियमानुसार उपभोक्ता के आगामी बीजकों में समायोजित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें। विपक्षी अनुपालन आख्या 30 दिवस के अन्दर फोरम को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 14/10/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 14/10/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति